

सेवा में,
 श्रीमान जनसूचनाधिकारी / मुख्य उपनिर्देशाधी अधिकारी,
 छावनी परिषद् मथुरा।

विषय:- स्मरण पत्र दिनांक: 07/04/18 को भौंगी गयी सूचनाओं के सन्दर्भ में

महोदय,

अवगत कराते हुये निवेदन करना है कि मेरे द्वारा दिनांक: 07/04/18 को भौंगी गयी सूचना यह कि सेन्ट्रल रेलवे को कोर्पोरेटिव हाउसिंग सम्प्लाइज सोरपायटी रेलवे कोलोनी - मोती कुन्ज के प्लॉट सं. 77 वीं के वरावर प्लॉट सं. 77 रू पर निर्मित मकान का स्वीकृत नकाशा जिसके आदेश की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराने विषयक आपके द्वारा भेजे गये पत्र दिनांक: 05/05/18 पत्रांक डा. प. म. | आर. टी. आई 05/542/189 में भौंगी गयी सूचनाओं को आपके द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया है, अतः आपके द्वारा भेद संख्या 2 में विन्दु 1 में यह कहा गया है कि उक्त अधिलिपन प्रावधानुसार तृतीय पक्ष को भेजे गये नोटिस के जवाब में तृतीय पक्ष द्वारा कहा गया है कि उसके भवन का मानचित्र उसका सिद्धि दस्तावेज है। इसलिये उसके भवन के मानचित्र की प्रतिलिपि किसी को प्रदान न की जाये। अतः उक्त अधिलिपन के प्रावधानुसार उसका प्रगटन नहीं किया जा सकता, जिसके सन्दर्भ में आप सूचनाधिकारी के द्वारा दी गयी सूचना को ना देने की मंतिरिक्ति प्रतीत होती है। आपके कार्यालय में दायित्व किता गदा कोई भी दस्तावेज किसी भी व्यक्ति का निजी नहीं हो सकता। जबकि वह सरकारी, सार्वजनिक दस्तावेज की प्रेणी में आता है। जिस कारण से भौंगी गयी प्रथम सूचना को उपलब्ध कराने जो भी को भी किसी प्रकार की काबूती बंधिस नहीं होनी चाहिये।

यह कि मेरे द्वारा भौंगी गयी सूचना नं. 2 व 3 के सन्दर्भ में आपके द्वारा मुझे भेद संख्या 2 में विन्दु 2 व 3 में यह सूचना दी गयी है कि इस कार्यालय में उपलब्ध रेलवे कोलोनी के ले-आउट प्लान का निरीक्षण कर स्वयं प्राप्त कर सकते हैं; जिससे यह बात भी स्पष्ट होती है, कि मेरे द्वारा भौंगी गयी सूचना आप मुझे देना नहीं चाहते हैं। जो कि असंवैधानिक प्रतीत होती है।

अतः प्राथम प्रथम स्मृति पत्र (First Reminder letter) के माध्यम से आपको पुनः अनुरोध करता है कि आप मुझे उक्त सूचनाएं उपलब्ध कराएं। उक्त सूचनाओं में जो भी रक्को होगा, प्राथम उसे अदा करेगा।

दिनांक: 26/05/2018

संलग्न:- (1) दिनांक: 07/04/18 को प्राथम द्वारा भौंगी गयी सूचनाओं के पत्र की छाया प्रति स्मृति हेतु।

(2) दिनांक: 05/05/18 को छावनी परिषद् मथुरा द्वारा भेजे गये पत्र पत्रांक डा. प. म. | आर. टी. आई. 05/542/189 की छाया प्रति।

दिनांक: 26/05/2018

S. Upadhyay

प्राथम

सुरेश चन्द्र उपाध्याय
 74 रेलवे कोलोनी, मोती कुन्ज
 मथुरा

CP10
 28/5